

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक/पाली/.....33...../2009 10

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोरक्ष पिल्लू.....

रिमाण समिति, तखतगढ़..... जिला-पाली का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक.....11.....माह अक्तूबर.....सन् दो हजार.....11.....को

पाली में दिया गया।

(अनिल मेहता)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
पाली-मारवाड़ (राज.)

रजिस्ट्रार संस्थाएं, पाली